सं. एम-11015/130/2017-एफडी
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25 के. जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 01 फरवरी, 2021

सेवा में,

प्रधान सचिव/ सचिव,
पंचायती राज विभाग
सभी राज्य

विषय : केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) के अनुदानों को ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी निकाय) के बैंक खातों में हस्तांतरण करने और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों से प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज के लेखाकरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और सभी संबंधित संस्थाओं (जीपी/ बीपी/ जेडपी और अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो) को सीएफसी अनुदान केंद्र सरकार से प्राप्ति के पश्चात निर्धारित दिनों के भीतर बिना किसी कटौती के हस्तांतरण के संबंध में है। इस संबंध में, इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ राज्य सीएफसी अनुदानों को केवल निजी जमा (पीडी) खातों/ राजकोषीय खातों में हस्तांतरित कर रहे हैं।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सीएफसी अनुदानों को राज्यों द्वारा संबंधित पंचायतों के केवल बचत बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाना है, न कि राज्य के किसी भी पीडी खातों या राजकोषीय खातों में।

3. इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों से प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज के लेखाकरण के बारे में, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 23-07-2020 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी की थी (प्रतिलिपि संलग्न)। इस एडवाइजरी के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग (सीसीएफसी) के अनुदानों पर प्रोद्भूत ब्याज किसी विशेष तिथि/ वर्ष को अंत शेष राशि का एक भाग है। इसलिए, इस प्रकार का उपलब्ध संयुक्त शेष नए वर्ष के लिए अथ शेष होगा। किसी भी स्थानीय निकाय को अंतरित निधियों का उपयोग सीएफसी अनुदान के उपयोग हेतु समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, और यही दिशानिर्देश ब्याज वाले भाग पर भी लागू होता है। आप अपने राज्य की पंचायतों/आरएलबी को तदनुसार अनुदेश दें।

भवदीय,

(विजय कुमार),
उप सचिव, भारत सरकार,
दूरभाष सं. 011-23356150

सं. एम-11015/130/2017-एफडी
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 23 जुलाई, 2020

सेवा में,

प्रधान सचिव/ सचिव,
पंचायती राज विभाग
सभी राज्य (उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर)

विषय : **आरएलबी के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों से प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज पर की गई कार्रवाई के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

कुछ राज्यों द्वारा मंत्रालय से यह पूछा गया है कि पंचायतों/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्त आयोग के अनुदानों से प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज की राशि का उपयोग कैसे किया जाए। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायतों के बचत खाते में प्रोद्भूत ब्याज किसी विशेष तिथि/ वर्ष की स्थिति के अनुसार अंत शेष राशि का एक भाग है। इसलिए, यह उपलब्ध संयुक्त शेष राशि नए वर्ष के लिए अथ शेष होगी, जिसे वापस हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थानीय निकाय को अंतरित निधि का उपयोग सीएफसी अनुदान के उपयोग हेतु समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, और यही दिशानिर्देश ब्याज वाले भाग पर भी लागू होता है। अपने राज्य के पंचायतों/ आरएलबी को तदनुसार अनुदेश दिया जाए।

भवदीय,

(तारा चंदर),
अवर सचिव, भारत सरकार,
दूरभाष सं. 011-23753812

*****